

# कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)

राजकीय मुद्रणालय के पास, गुलाब बाग रोड़, उदयपुर-313001

**email: dcf.udprn.forest@rajasthan.gov.in Tel. no. & Fax no. 0294-2421962**

क्रमांक: एफ( )सर्वे/उवसं-उत्तर/2022-23/2663

दिनांक: 13/04/2022

मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

(प्रस्ताव संख्या-FP/RJ/TRANS/142368/2021)

विषय: Construction of 11 KV HT Line from 33/11 KV Bekariya Substation to Wolkem Industries Ltd. Kheratarla Mine Situated near Uparla and Nichla Khera, Tehsil- Bali & Kotra, District- Pali & Udaipur, Rajasthan Forest Diversion proposal under FCA- 1980.

प्रसंग: आपके पत्र क्रमांक एफ 5( )मुवस/वसु/2021-22/344 दिनांक 12.01.2022 एवं 5( )मुवस/वसु/2022-23/3002 दिनांक 08.04.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि Wolkem Industries Ltd. द्वारा इस वनमण्डल के अधिन 3.85 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या-FP/RJ/ TRANS/142368/ 2021) इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये थे। इस संदर्भ में संभागीय मुख्य वन संरक्षक महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरता के साथ मय स्टॉफ के साथ उक्त प्रस्तावित 33/11 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन का मौका निरीक्षण दिनांक 04.01.2022 मंगलवार को किया गया, जिस क्रम में मुख्य वन संरक्षक महोदय द्वारा मौका निरीक्षण में पाया कि ट्रांसमिशन लाईन के वर्तमान एलाइनमेंट अनुसार काफी संख्या में वृक्षों का पातन होगा जिसमें काफी बड़े वृक्ष भी शामिल हैं। आप द्वारा पुनः तकनीकी रूप से जाँच कर आवश्यकतानुसार एक या दो स्थानों पर सड़क काँस कर एलाइनमेंट तय करे ताकि वृक्षों कि न्यूनतम पातन हो सके व चूँकि कुछ स्थानों पर सड़क के किनारे व साथ खड़े पहाड़ व गहरे नाले भी हैं के क्रम में युजर एजेन्सी को इस कार्यालय से आपके पत्र के क्रम में पाई गई कमियों को दुरस्त करने व तकनीकी रूप से जाँच करवाकर एलाइनमेंट तय करते हुए व वृक्षों के न्यूनतम पातन को मददेनजर रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र क्रमांक 277 दिनांक 18.01.2022 से लिखा गया था।

युजर एजेन्सी द्वारा पाई गई कमियों को दुरस्त कर व तकनीकी रूप से जाँच कर, वृक्षों कि न्यूनतम पातन को मददेनजर रखते हुए प्रस्ताव इस वनमण्डल के वनखण्ड खीला में 3.3896 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या- FP/RJ/TRANS/142368/2021) पुनः संशोधन कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्ताव में आप द्वारा पाई गई कमियों को दुरस्त करते हुए बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रेषित है।

1. प्रकरण में ट्रांसमिशन लाईन के एलाइनमेंट में युजर एजेन्सी द्वारा आपके आक्षेपों को मददेनजर रखते हुए एलाइनमेंट में परिवर्तन किया गया है व वृक्षों कि न्यूनतम पातन हो सके व सड़क के किनारे व साथ खड़े पहाड़ व गहरे नाले के क्षेत्र से अलग होकर कार्य होने कि सुगमता को व सुरक्षित लाईन डालने को देखते हुए परिवर्तन किया है, जिससे प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल 3.85 हैक्टर से कम होकर 3.3896 हैक्टर वनक्षेत्र प्रभावित होगा। जिसमें पातन व छंगाई योग्य पेड़ों में भी कमी होकर 751 पेड़ों से 521 पेड़ों कि गणना कि गई है।
2. प्रकरण में प्रस्तावित प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल 3.3896 हैक्टर के बदले दुगुनी अवनत वन भूमि 6.7792 हैक्टर पर 1000 पोधे प्रति हैक्टर के हिसाब 6780 पोधों का वृक्षारोपण किया जाना होता है जिसके तहत 1000 पोधे प्रति हैक्टर के हिसाब से 10 हैक्टर वनक्षेत्र का चयन

किया गया है जो वनखण्ड रावला बीड, रेंज सायरा में स्थित है। परिभ्राषित वन भूमि पर वृक्षारोपण का DFL CA Scheme के साथ प्राक्कलन संलग्न है।

3. प्रकरण में ओषधीय पोधो के वृक्षारोपण हेतु 2000 पोधे प्रति हैक्टर से वृक्षारोपण के लिए वनखण्ड खीला में 13 हैक्टर का चयन किया गया है जिसका वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है।
4. युजर एजेन्सी द्वारा पाई गई कमियो को दुरस्त कर व तकनिकी रूप से जाँच कर, वृक्षो कि न्युनतम पातन को मददेनजर रखते हुए प्रस्ताव इस वनमण्डल के वनखण्ड खीला में 3.3896 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव पुनः संशोधन कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये जिसमें प्रस्ताव में अन्डरटेकिंग व संलग्न दस्तावेजो में हस्ताक्षर किये जाकर प्रस्ताव में संलग्न है व प्रस्ताव में पार्ट ए कि पालना कार्यकारी संस्था द्वारा कि गई के दस्तावेजो पर प्रति हस्ताक्षर किये जाकर प्रस्ताव आप कार्यालय को प्रेषित है।
5. प्रकरण में ओषधीय पोधो के वृक्षारोपण हेतु नवीनतम दर 252/-श्रमिक दरो से 6,40,237/- से ली जाकर गणना कर संलग्न है।
6. प्रस्ताव में दुगुनी अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु नवीन क्षेत्र का 1000 पोधे प्रति हैक्टर के हिसाब से 10 हैक्टर वनक्षेत्र का चयन किया गया है जो वनखण्ड रावला बीड, रेंज सायरा में स्थित है, जो पुर्ण रूप से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है व वनक्षेत्र पर कोई ट्रेंच खुदी हुई नहीं है।

इस संदर्भ में प्रस्ताव के सी.ए. प्रपत्र-2 व अन्य औपचारिताएँ नियमानुसार पुर्ण कर कुल 3.3896 हैक्टर का प्रस्ताव ऑनलाईन अग्रेषित करने के उपरान्त 4 प्रतियों में प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2344 दिनांक 01.04.2022 से प्रेषित किये गये थे जिसके क्रम में आप कार्यालय द्वारा प्रासंगिक पत्र से लगाये गये आक्षेपो का प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित है-

1. आप कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक एफ 5( )मुवस/वसु/2021-22/344 दिनांक 12.01.2022 लगाये गये आक्षेपो का बिन्दुवार प्रत्युत्तर उपरोक्तानुसार तैयार किया जाकर प्रेषित है।
2. प्रकरण में DFL CA Scheme Plantation का प्राक्कलन एवं Meditational Scheme Plantation का प्राक्कलन तैयार किया जाकर पत्रावलियों में संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित है।
3. प्रस्ताव के पार्ट-1A में बिन्दु संख्या 1(IV) में डायवर्ट किया जाने वाले क्षेत्रफल में ट्रांसमिशन लाईन के एलाइनमेंट में युजर एजेन्सी द्वारा आपके आक्षेपो को मददेनजर रखते हुए एलाइनमेंट में परिवर्तन किया गया है जिसमें प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल 3.85 हैक्टर से कम होकर 3.3896 हैक्टर वनक्षेत्र प्रभावित होगा, उक्त 3.3896 हैक्टर (3.85 हैक्टर के स्थान पर) का संशोधन जो नोडल स्तर, जयपुर से अपडेट किया जावेगा या किया जाता है।

अतः मुल ही प्रस्ताव के सी.ए. प्रपत्र-2 व अन्य औपचारिताएँ नियमानुसार पुर्ण कर कुल 3.3896 हैक्टर का प्रस्ताव ऑनलाईन अग्रेषित करने के उपरान्त 4 प्रतियों में प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 4 प्रस्ताव प्रतियाँ।

भवदीय

(डी. के. तिवारी)

उप वन संरक्षक,  
उदयपुर (उत्तर)